झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0	झारखण्ड सरकार द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों पर "रेडी टू-ईट" का पैकेट का वितरण किया जा रहा है। जिसमें अत्यन्त ही घटिया किस्म का सामान की आपूर्ति हो रही है। जिसे बच्चे नहीं खाते है। जानवरों को खिला दिया जाता है। इसलिए पूर्व की भाँति केन्द्र पर भोजन बनाकर बाँटने की व्यवस्था जैसी पूर्व से आ रही थी। उसे ही जारी करने का आदेश होना चाहिए। अतः "रेडी टू ईट" के स्थान पर पूर्व की भाँति बना कर भोजन वितरण की व्यवस्था हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास
02-	श्री कमल किशोर भगत स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद से स्थापना अनुज्ञा प्राप्त राज्य के 105 इण्टर महाविद्यालयों में अध्ययनरत 50 हजार छात्र-छात्राओं को 11वीं कक्षा की परीक्षा से वंचित किया गया है जबकि उक्त महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्वीकृति का प्रस्ताव सरकार के पास वर्षो से विचाराधीन हैं। ऐसे में छात्रहित को ध्यान में रखते हुये उक्त महाविद्यालयों के छात्र को 11वीं कक्षा में सम्मलित करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
03–	सर्वश्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, राधाकृष्ण किशोर एवं श्री प्रकाश राम स0वि0स0	पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित जपला सिमेन्ट फैक्टरी से बहुत ही उच्च क्वालिटी के सिमेन्ट का उत्पादन होता था जो वर्ष– 1988 से ही बंद पड़ा है इस फैक्टरी में लगभग 5000 (पांच हजार) मजदूर कार्यरत थे। फैक्टरी बंद होने से अनेक लोगों की मृत्यु अर्थाभाव में ईलाज के अभाव में हो गई सभी मजदूर बेरोजगार हो गये उनका परिवार बिखर गया। जपला सिमेन्ट फैक्टरी की कीमती महंगी मशीनों में जंग लग रहे है। इस फैक्टरी के बंद होने से हुसैनाबाद अनुमंडल में त्राहि–त्राहि मच गई है। बेरोजगार मजदूर पलायन कर दूसरे राज्य में काम की तलाश में भटक रहे है। इसलिए सरकार द्वारा सवोच्च प्राथमिकता दे कर अविलम्ब जपला सिमेन्ट फैक्टरी को चालू कराया जाय। जनहित के अतिमहत्वपूर्ण विषय पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित जपला सिमेन्ट फैक्टरी को अविलम्ब चालू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है।	उद्योग
04–	श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश के सिमडेगा, प0 सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं गुमला जिला में गोंड जन–जाति के लोग निवास करते हैं एवं झारखण्ड राज्य में गोंड को जनजाति की सूची के क्रमांक 11 में दर्शाया गया है। सिमडेगा प्रखंड के अनेक गांवों में गोंड एवं राजगोंड एक ही व्यक्ति के खाता खतियान में दर्ज है। कहीं–कहीं खाता खतियान में सिर्फ राजगोंड भी दर्ज है। ऐसे भी गोंड एवं राजगोंड एक ही हैं इनकी भाषा संस्कृति एक है शादी– व्याह भी एक दूसरे के साथ में होते है। भारत के अनेक राज्य जैसे आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में भी गोंड एवं राजगोंड दोनों को ही जन–जाति का दर्जा प्राप्त है। अतः झारखण्ड राज्य में भी गोंड के साथ राजगोंड को भी जन–जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए साथ ही भारत सरकार से मान्यता के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
05-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	पाकुड़ जिला अन्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड एवं साहिबगंज जिला अन्तर्गत बरहरवा प्रखण्ड के लगभग 100 गांवों में पिछले पाँच वर्षो में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। परन्तु आवश्यकता अनुरुप अतिरिक्त ट्रांसफर्मर नहीं दिये गए है, जिसके कारण ट्रांसफर्मर जलने के साथ-साथ नियमित विद्युत आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। अतः उपभोक्ताओं के बढ़े संख्या के अनुसार सभी गांव में अतिरिक्त ट्रांसफर्मर लगाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ऊर्जा

राँची
दिनांक- 03 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-02/2015-......519...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 2/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/उद्योग विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-02/2015-......519...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 2/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष